# लोक सभा सचिवालय
## शोध एवं सूचना प्रभाग

## सूचना बुलेटिन

सं. लार्डिस (पोल) 2014/आईबी-13 दिसम्बर 2014


# असंगठित कामगार:मुद्दे और चुनौतियां

### प्रस्तावना

भारत में कुल कार्यबल का 90 प्रतिशत असंगठित कामगार हैं। असंगठित कामगार की परिभाषा में ठेका श्रमिक, नैमित्तिक कामगार, घरों में कार्य करने वाले, घर पर रहकर कार्य करने वाले, कृषि कामगार, बंटाईदार, सीमांत कृषक, बंधुआ मजदूर, दस्तकार, हाथ से मैला उठाने वाले, महिला और बाल श्रमिक और वृद्ध मजदूर शामिल हैं। असंगठित कामगार के नियोजन में मौसमी और अनिश्चित रोजगार, अलग-अलग कार्यस्थल, नियोक्ता कर्मचारी संबंध का अभाव, खराब कार्य स्थितियां, अनिश्चित और लंबे कार्य घंटे और कम पारिश्रमिक जैसी समस्याएं आती हैं। उन्हें अपनी अलिखित स्थिति और संगठनात्मक सहायता के अभाव के कारण अत्यधिक सामाजिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। इस उद्योग को विकास के इंजन के रूप में और भारत को निर्माण करने वाला राष्ट्र बनाने हेतु सरकार के हाल के प्रयासों का उद्देश्य असंगठित कामगार को मुख्य धारा में लाना भी है ताकि वे भी राष्ट्र के उत्थान में सहयोग कर सकें और उनके लिए सम्मानपूर्ण जीवन और कार्य करने का अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा सके।

### असंगठित कामगारों की परिभाषा और वर्गीकरण

असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 में असंगठित कर्मकार को घर से काम करने वाले कर्मी, स्वरोजगार में लगे लोग या असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करने वाले मजदूरों के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें संगठित क्षेत्र में काम करने वाले उन सभी कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया गया है जो अधिनियम की अनुसूची संख्या 2 में उल्लेखित अधिनियमों, (i) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (ii) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (iii) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (iv) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (v) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 और (vi) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में से किसी एक भी अधिनियम के अंतर्गत कवर नहीं होते। असंगठित कर्मकारों में वे व्यक्ति सम्मिलित हैं जिनके रोजगार संबंधी कानून या व्यवहार में श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा और कुछ रोजगार संबंधी लाभों के अध्यधीन नहीं हैं।

श्रम मंत्रालय ने असंगठित कर्मकारों को उनके कार्य, रोजगार के स्वरूप, अति विपदाग्रस्त श्रेणियां और सेवा श्रेणियों के आधार पर चार वर्गों में बांटा है। विवरण इस प्रकार है—

- **पेशा:** छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन कृषि श्रमिक, बंटाईदार, मछुआरे, पशुपालन, बीड़ी उद्योग, लेमलिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में कार्यरत कर्मी, भवन और निर्माण में लगे श्रमिक आदि;
- **रोजगार का स्वरूप:** स्व-रोजगार, संबद्ध कृषि श्रमिक, बंधुआ मजदूर, प्रवासी श्रमिक, ठेका और नैमित्तिक श्रमिक;
- **अति विपदाग्रस्त श्रेणियां:** सिर पर मैला ढोने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले, पशु गाड़ियां चलाने वाले, माल ढुलाई के काम में लगे श्रमिक; और
- **सेवा श्रेणियां:** दाइयां, घरेलू कामगार, मछुआरे और महिलाएं, नाई, रेहड़ी पर फल और सब्जियां बेचने वाले, अखबार विक्रेता आदि।

### असंगठित कामगारों की संख्या

भारत में अधिकांश रोजगार असंगठित क्षेत्र में हैं। वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ का 68वां दौर) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कुल रोजगार 47 करोड़ था। इसमें से संगठित क्षेत्र में रोजगार लगभग 8 करोड़ था तथा शेष 39 करोड़ असंगठित क्षेत्र में था। देश के कुल रोजगार में असंगठित क्षेत्र के कर्मियों का हिस्सा 90% से भी अधिक है। वे न तो सामाजिक सुरक्षा की किसी औपचारिक प्रणाली

और न ही काम करने की दशाओं के विनियमों के अंतर्गत कवर होते हैं। महिलाएं और बच्चे असंगठित क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित महिला श्रमिक आंकड़ा 2012–13 (स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल आन वीमेन लेबर) के अनुसार वर्ष 2011 में कार्य में महिलाओं की भागीदारी दर 25.63 प्रतिशत थी जिसमें से 30% ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 15.4% शहरी क्षेत्रों में थी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अधिकतर कृषि कार्य में लगी हुई हैं और कृषि श्रमिक हैं। शहरी क्षेत्रों में लगभग 80% महिला कर्मी असंगठित क्षेत्रों जैसे घरेलू उद्योग, छोटे-मोटे व्यापार और सेवाएं, भवन और निर्माण आदि के कार्यों में लगी हैं।

## श्रम क्षेत्राधिकार: संवैधानिक स्थिति

भारतीय संविधान में श्रम को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। केन्द्र के लिए आरक्षित कुछ मामलों को छोड़कर श्रम संबंधी सभी मामलों पर केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बनाने में सक्षम हैं।

### श्रम क्षेत्राधिकार: संवैधानिक स्थिति

**केन्द्र के लिए आरक्षित कुछ मामलों को छोड़कर इससे संबंधित सभी मामलों पर केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं।**

| संघ सूची | समवर्ती सूची |
|---|---|
| प्रविष्टि संख्या 55 – श्रम विनियमन, खानों और तेल भंडारों में सुरक्षा | प्रविष्टि संख्या 22 – ट्रेड यूनियन्स; औद्योगिक और श्रम विवाद |
| प्रविष्टि संख्या 61 – केन्द्रीय कर्मचारियों से संबंधित औद्योगिक विवाद | प्रविष्टि संख्या 23 – सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; रोजगार और बेरोजगार |
| प्रविष्टि संख्या 65 – व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु संघीय एजेंसियां और संस्थान:<br>• पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण सहित व्यावसायिक अथवा तकनीकी प्रशिक्षण;<br>• विशेष अध्ययनों अथवा शोध को प्रोत्साहन; और<br>• अपराधों की जांच अथवा उसका पता लगाने में वैज्ञानिक अथवा तकनीकी सहायता। | प्रविष्टि संख्या 24 – काम की दशाओं, भविष्य निधि, नियोक्ता के दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, अविधिमान्यता और वृद्धावस्था पेंशन तथा प्रसूति लाभ सहित श्रमिकों का कल्याण। |

## श्रम कल्याण: असंगठित कामगारों के लिए सरकारी पहल

असंगठित कामगारों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने द्विपक्षीय रणनीति अपनाई है अर्थात् विधायी उपाय और कल्याण योजनाओं के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन। पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग (1969) ने असंगठित कामगारों को भी शामिल करने हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948* की सिफारिश की थी। अगस्त, 1987 में भारत सरकार ने भारत में ग्रामीण श्रम से संबंधित राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समस्याओं के परीक्षण हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की नियुक्ति की थी। आयोग ने जुलाई, 1991 में अपनी रिपोर्ट पेश की और सभी ग्रामीण श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, जीवन बीमा, प्रसूति लाभ, नि:शक्तता लाभ और न्यूनतम स्वास्थ्य और बीमारी लाभ की सिफारिश की। दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने 2002 में अपनी रिपोर्ट में व्यापक विधान की सिफारिश की और असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक सांकेतिक विधेयक का प्रारूप भी तैयार किया।

सरकार ने इसके पश्चात् असंगठित क्षेत्र में उद्यमों की समस्याओं की जांच करने हेतु और इन उद्यमों को तकनीकी, विपणन और क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए सिफारिश करने हेतु सितम्बर, 2004 में असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीईयूएस) का गठन किया। आयोग ने मई, 2006 में *असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा* के संबंध में अपनी रिपोर्ट पेश की। एनसीईयूएस की रिपोर्ट के आलोक में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न उपायों, जिनमें केन्द्र और राज्य स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक

*असंगठित क्षेत्र में कामगारों पर लागू अन्य विधानों में शामिल हैं– कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952; प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961; ठेका श्रम (विनियम और उत्सादन) अधिनियम; बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976; समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976; अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियम और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979; बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम, 1986; भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996।

सुरक्षा और सलाहकार बोर्ड की स्थापना भी शामिल है, को अंतर्विष्ट करते हुए असंगठित क्षेत्र कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007 में राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया था और जांच तथा प्रतिवेदन के लिए श्रम संबंधी विभागों से सम्बद्ध स्थायी समिति (डीआरएससी) के पास भेजा गया था।

समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 पारित किया जो 16.5.2009 से लागू हुआ। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैं:—

## असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की मुख्य विशेषताएं

- (क) जीवन और नि:शक्तता कवर; (ख) स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ; (ग) वृद्धावस्था सुरक्षा; (घ) अन्य कोई लाभ जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, से संबंधित मामलों पर असंगठित कामगारों के विभिन्न वर्गों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा योजनाएं बनाना।
- राज्य सरकारों द्वारा भविष्य निधि, रोजगार इंजरी में घायल होने संबंधी, लाभ, आवास, बच्चों के लिए शैक्षिक योजनाएं, कौशल विकास, अंतिम संस्कार सहायता और वृद्धावस्था आवासों (ओल्ड एज होम्स) से संबंधित योजनाएं तैयार करना।
- योजना में ही विनिर्दिष्ट की जाने वाली योजनाओं का वित्त-पोषण।
- केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में सदस्य सचिव और संसद सदस्यों, असंगठित कामगारों, असंगठित कामगारों के नियोक्ताओं, सिविल सोसायटी, केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 34 नामनिर्देशित सदस्यों को शामिल करके राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन।
- राष्ट्रीय बोर्ड में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व।
- राष्ट्रीय बोर्ड के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्र सरकार को असंगठित कामगारों के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त योजनाओं की सिफारिश करना; योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना और अधिनियम के प्रशासन से पैदा हुए मामलों पर केन्द्र सरकार को सलाह देना भी शामिल है।
- धारा 6 में राज्य स्तर पर ऐसे ही बोर्ड के गठन का उपबंध है।
- जिला स्तर पर श्रमिकों की पहचान और पंजीकरण तथा उन्हें स्मार्ट कार्ड जारी करना।

## असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की अनुसूची एक के अंतर्गत योजनाएं

अधिनियम के खंड 3(2) के अनुसार अधिनियम की अनुसूची एक में शामिल की गई योजनाओं को अधिनियम के अंतर्गत कल्याण योजनाओं के समान माना गया। इनमें शामिल हैं:-

*इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना; राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना; जननी सुरक्षा योजना; हथकरघा बुनकर समेकित कल्याण योजना; हस्तशिल्प कारीगर समेकित कल्याण योजना; मास्टर क्राफ्ट पर्सन को पेंशन; मछुआरों के कल्याण, प्रशिक्षण और विस्तार हेतु राष्ट्रीय योजना; जनश्री बीमा योजना[1], आम आदमी बीमा योजना; राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना।*

इनमें से सबसे बड़े कवरेज वाली योजनाएं हैं: राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा आम आदमी बीमा योजना जिनका सबसे बड़ा कवरेज है और इसे संक्षेप में निम्नवत् वर्णित किया गया है:

- सरकार ने असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार (पांच की इकाई) को 30,000/- रुपये का स्मार्ट कार्ड आधारित कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) शुरू की है। बीपीएल परिवारों के अलावा आरएसबीवाई को भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिकों, लाइसेंस युक्त रेलवे पोर्टरों, पथ विक्रेताओं, श्रमिकों, जिन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत पंद्रह दिनों से अधिक कार्य किया है, बीड़ी कामगारों, घरेलू कामगारों, सफाई कामगारों, खान श्रमिकों, रिक्शावालों, कचरा बीनने वालों इत्यादि पर भी लागू की गई है।
- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) असंगठित श्रमिकों के लिए बीमा कवर प्रदान करने के विचार से 2.10.2007 को आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत घायल श्रमिकों को नि:शक्तता के स्वरूप के आधार पर बीमा राशि के रूप में 75,000/- रुपये तक का बीमा लाभ वितरित किया जाता है।
- सरकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू कर रही है जिसका पात्रता का मानदंड संशोधित करके विस्तार किया गया है। 60 वर्ष की आयु से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी नागरिक इस योजना के अंतर्गत लाभ के हकदार हैं। 80 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि 200/- रुपये से बढ़ाकर 500/- रुपये प्रति माह कर दी गई है।
- केन्द्र सरकार ने असंगठित कामगारों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत बचत करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 26.9.2010 को एक सह-अंशदायी पेंशन योजना 'स्वावलम्बन' शुरू की है। सरकार प्रत्येक पात्र अंशधारक, जो स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष का योगदान करता है, के लिए 1,000 रुपये का अंशदान करती है।

[1]इस योजना का आम आदमी बीमा योजना के साथ विलय कर दिया गया है।

- कुछ रोजगारोन्मुखी योजनाएं भी हैं जो असंगठित कामगारों को लाभ पहुंचाती हैं और इसमें स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) शामिल हैं।

### महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई पहली योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जिसके अंतर्गत दैनिक मजदूरी के आधार पर रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है, का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

## असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विलय

असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान में सभी कल्याणकारी योजनाएं राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों और एजेंसियों के द्वारा संचालित की जा रही हैं। प्रणालियों की भिन्नता सरकार और लाभार्थियों के लिए बड़ी चुनौतियां पेश करती हैं। श्रम और उद्यम मंत्रालय ने तीन महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अर्थात् इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, आम आदमी बीमा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के एकीकरण हेतु प्रायोगिक परियोजनाएं आरंभ करने का प्रस्ताव किया है। इन योजनाओं के डाटाबेस को एकीकृत करके उनके आंकड़ों को एकल स्मार्ट कार्ड में डालकर, जिसे बाद में पात्रता का साक्ष्य माना जाएगा तथा एकल संपर्क बिंदु के माध्यम से सभी योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करके इन सभी योजनाओं का विलय किये जाने का प्रस्ताव है।

## कल्याण कोष

केन्द्र सरकार ने असंगठित कामगारों की कुछ श्रेणियों को आवास, जलापूर्ति, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और मनोरंजन सहायता जैसी कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए पांच कल्याण कोषों का गठन किया है:—

(1) बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 और बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981;

(2) सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि, 1981 और सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1981;

(3) चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972;

(4) लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 और लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1976;

(5) अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946।

कल्याण कोषों का वित्तपोषण संग्रहित किए जाने वाले उपकर या इन श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाले उद्योग के उत्पादों पर संग्रहण की लागत को पूरा करने के पश्चात् उत्पाद शुल्क की आय के माध्यम से किया जाता है।

## कौशल विकास पहल

किसी भी देश के लिए कौशल और ज्ञान आर्थिक विकास और सामाजिक उन्नति के प्रेरक तत्व हैं। संभावित रूप से कौशल विकास हेतु लक्षित समूह में श्रम बाजार में पहली बार आने वाले, संगठित क्षेत्र में तथा असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत लोग श्रम बल में आते हैं। सरकार ने जल्दी ही स्कूल छोड़ देने वालों और विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कौशल विकास पहल योजना आरंभ की है।

### राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (असंगठित क्षेत्र हेतु कौशल विकास) की मुख्य विशेषताएं

- एक पृथक संस्थागत तन्त्र विकसित किया जाएगा जो अन्य बातों के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र के लिए कौशल विकास प्रयासों का कार्यान्वयन और उनकी निगरानी करेगा।
- अनौपचारिक प्रशिक्षण और शिक्षण पद्धति को मान्यता प्रदान की जाएगी और समग्र विकास में सहायता के लिए उसे राष्ट्रीय व्यावसायिक अर्हता फ्रेमवर्क (एनवीक्यूएफ) में समायोजित किया जाएगा।
- स्कूलों और सार्वजनिक/निजी प्रशिक्षण संस्थानों/सिविल सोसाइटी संगठनों/एनजीओ आदि सहित विभिन्न संस्थानों को असंगठित क्षेत्र के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- लक्षित समूहों की आवश्यकताओं जैसे अंशकालीन/पूर्णकालीन तथा कार्य स्थल पर या कार्य स्थल से दूर प्रशिक्षण दिया जाना आदि के अनुरूप लचीली सुपुर्दगी रणनीति और पैटर्न को स्वीकार किया जाएगा।
- बाल श्रम का उन्मूलन करने, बालिकाओं, अक्षम व्यक्तियों और अन्य कमजोर वर्गों की सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।
- असंगठित क्षेत्र के लिए कौशल विकास पहलों में साक्षरता, मूलभूत शिक्षा और सामान्य कौशल विकास जैसे निश्चित संघटकों को शामिल किया जाएगा।
- असंगठित क्षेत्र के कामगारों की उद्यमिता को सफलतापूर्वक स्वीकार करने के लिए उद्यमिता विकास संस्थान, प्रौद्योगिकी परिपक्वता केन्द्र और अन्य ऐसे संस्थागत प्रबंधों का उपयोग किया जाएगा।
- असंगठित क्षेत्र कार्य के लिए क्षमता मानक और प्रमाणन प्रणाली को विकसित किया जाएगा और उसे राष्ट्रीय जांच और प्रमाणन प्रणाली में शामिल किया जाएगा। व्यावसायिक परामर्श और करियर मार्गदर्शन हेतु तंत्र विकसित किया जाएगा; युवाओं और श्रमिकों को कौशल और ज्ञान की प्राप्ति करने और सतत रूप से उसमें वृद्धि करने के लिए प्रेरित करने के लिए रोजगार रूझानों और प्रशिक्षण अवसरों से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जाएगी।

## नई पहल

सरकार के श्रमिकों के अनुकूल सुधार प्रस्तावों में असंगठित श्रमिकों के लिए मांग आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण, एक प्रशिक्षु योजना और नई स्वास्थ्य बीमा योजना शामिल है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में भी संशोधन किया जा रहा है। नई सरकार के लिए कौशल विकास एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता (एसडीएडी) नामक नया मंत्रालय बनाया है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ बाजार की आवश्यकताओं और कौशल विकास के संबंध में सभी अन्य मंत्रालयों/विभागों हेतु व्यापक नीतियां बनाना, एक समुचित कौशल विकास ढांचा तैयार करने हेतु सभी संबंधित पक्षों के बीच समन्वय स्थापित करना, व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कुशल श्रम शक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तर को दूर करना, कौशल का उन्नयन और नया कौशल विकसित करना है। नई पहल से असंगठित क्षेत्र को भी लाभ होगा और यह उनके स्तरोन्नयन में प्रभावी होगी।

### प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) वित्तीय समावेश हेतु एक राष्ट्रीय मिशन है। इसका आरंभ 28 अगस्त, 2014 को किया गया। योजना का लक्ष्य 26 जनवरी, 2015 तक 75 मिलियन परिवारों को सम्मिलित करने के लक्ष्य सहित पूरे देश में प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता प्रदान करना है। पीएमजेडीवाई का उद्देश्य मुख्य धारा से बाहर अर्थात् दुर्बल वर्गों और कम आय वाले समूहों को बैंक खातों की सुविधा, आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त करने की सुविधा, प्रेषण सुविधा, बीमा और पेंशन जैसी विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है।

## असंगठित कामगारों की मुख्य श्रेणियां

### *भवन और अन्य निर्माण कार्यों में लगे श्रमिक*

निर्माण क्षेत्र असंगठित कामगार को रोजगार प्रदान करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) 2011-12 के अनुसार लगभग 5.02 करोड़ कामगार निर्माण क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इस क्षेत्र में श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने उनकी मजदूरी सेवा शर्तों, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी उपायों का विनियमन करने के लिए भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 और भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 लागू किया। इन दो अधिनियमों के अंतर्गत राज्यों को अन्य बातों के साथ-साथ उपकर संग्रहण प्राधिकारियों की नियुक्ति और राज्य भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्डों का गठन करना होगा जो कि उक्त अधिनियमों के अनुपालन में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करते हैं।

भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के वित्तपोषण का मुख्य स्रोत उपकर संग्रहण है और राज्य भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों को उसका भुगतान किया जाता है। सभी श्रमिकों का पंजीकरण करने और उनके कल्याण हेतु योजनाएं तैयार करने तथा उनका कार्यान्वयन करने में विफल रहना अधिनियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन में मुख्य चुनौतियां रही हैं। दो अधिनियमों में संशोधन करने के लिए 18 मार्च, 2013 को राज्य सभा में भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार संबंधी विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013 पुर:स्थापित किया गया। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य, श्रमिकों के पंजीकरण हेतु 90 दिन की आवश्यकता और लाभार्थी के रूप में पंजीकरण हेतु पात्र बनने के लिए 60 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा की शर्त को हटाना है। प्रस्तावित संशोधन में उपकर संग्रहण प्राधिकरणों द्वारा कल्याण बोर्ड के पास उपकर जमा करने हेतु 30 दिन की समय-सीमा निर्धारित करने का भी प्रावधान है।

### *अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक*

देश के विभिन्न क्षेत्रों का असमान विकास होने के कारण यहां श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते-जाते रहते हैं। वे अधिकांशत: असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं और उन्हें ऐसी अतिरिक्त समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो गंतव्य राज्यों के सशक्त न होने के कारण उत्पन्न होती हैं और अपने गृह राज्यों में सामाजिक समर्थन प्रणाली से अलग हो जाने के कारण उन पर आती हैं। अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के रोजगार को नियंत्रित करने के लिए और उनकी सेवा शर्तों के लिए सरकार ने अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 को अधिनियमित किया है। इस अधिनियम की धारा 13 के अनुसार एक अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार की मजदूरी दर, अवकाश, कार्य के घण्टे और सेवा की अन्य शर्तें अन्य कर्मकारों के समान होंगी और किसी भी दशा में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी नहीं दी जायेगी। विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधान प्रवासी श्रमिकों पर भी समान रूप से लागू होते हैं। चूंकि पिछले वर्षों में प्रवास की प्रकृति में बदलाव हुआ है, अत: सरकार अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 में व्यापक संशोधन करने का विचार कर रही है। सरकार प्रवास की समस्या का समाधान बहुआयामी क्रियाकलापों जैसे ग्रामीण विकास, अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार, क्षेत्रीय असमानताओं की समाप्ति, भूमि सुधार, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आदि के माध्यम से भी करने का प्रयास कर रही है।

### *बंधुआ मजदूर*

सामंती और अर्धसामंती प्रणाली के कारण पैदा हुए असमान ढांचे के कारण भारत में बंधुआ मजदूरी प्रथा अस्तित्व में आई। बंधुआ मजदूर असंगठित कामगार हैं जो मुख्यत: ईंटों के भट्ठों, कृषि, पत्थर उत्खनन, मिट्टी के बर्तन बनाने, अवैध खनन जैसे कार्यों में लगे होते हैं। इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 को अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम में

बंधुआ मजदूर प्रथा को कानून द्वारा दण्डनीय संज्ञेय अपराध बना दिया है। मुक्त कराये गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के कार्य में राज्य सरकारों की मदद के लिए, केन्द्र सरकार ने एक योजना आरम्भ की है जिसके तहत राज्य सरकारों को 50:50 की भागीदारी के आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इस योजना को बाद में संशोधित कर दिया गया और संशोधित योजना के अंतर्गत बंधुआ मजदूरों के सर्वेक्षण, जागरूकता पैदा करने के कार्यकलापों और प्रभाव के मूल्यांकन के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*बाल श्रम*

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में 5–14 वर्ष के आयु वर्ग में कार्य करने वाले बच्चों की कुल संख्या 1.26 करोड़ थी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के 2009–10 के सर्वेक्षण के अनुसार काम करने वाले बच्चों की संख्या 49.84 लाख आंकी गई है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसे बच्चों की अनुमानित संख्या 43.53 लाख है।

हमारे संविधान में बच्चों को ऐसे आर्थिक क्रियाकलापों और व्यवसायों में लगाये जाने से संरक्षा प्रदान की गई है जो उनकी आयु के अनुरूप नहीं है। ऐसा मूलाधिकारों (अनुच्छेद 24) और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में दिया हुआ है। संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर 1987 में घोषित राष्ट्रीय बाल श्रम नीति जिसमें बाल श्रम के जटिल मुद्दे को एक व्यापक, पूर्ण और समेकित ढंग से उठाया गया है। इस नीति के तहत बहुआयामी कार्ययोजना बनाई गई है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों को शामिल किया गया है:—

- एक विधायी कार्य योजना
- बच्चों के परिवारों के हित में सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित करना
- बाल श्रमिकों के उच्च संकेन्द्रण वाले क्षेत्रों में परियोजना-आधारित कार्य योजना

बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार अधिसूचित किये गये जोखिमपूर्ण व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन निषेध है।[2] यह अधिनियम गैर-जोखिमपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं और अन्य रोजगारों जिन्हें बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है, में भी बच्चों के नियोजन को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम के प्रावधानों को और कड़ा बनाने के लिए एक व्यापक संशोधन विचाराधीन है जो रोजगार में बच्चों के निषेध की आयु से शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की आयु को जोड़ेगा जिसमें 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों का जोखिमपूर्ण व्यवसायों में नियोजन को निषिद्ध किया गया है।[3] बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए सरकार ने 1988 में देश के 12 बाल श्रमिक बहुलता वाले जिलों में बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) शुरू की थी। इसको धीरे-धीरे बढ़ाया गया और वर्तमान में देश के 270 जिलों को कवर किया गया है।

## हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी

देश के विभिन्न हिस्सों में, ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में, काफी अधिक संख्या में लोग हाथ से मैला उठाने वाले कार्यों में लगे हुए हैं। हाथ से मैला उठाने का कार्य एक जाति आधारित पेशा रहा है। इस समुदाय के सदस्य जाति पदसोपान में सबसे नीचे रखे गए हैं और पूरे देश में विभिन्न जाति नामों के साथ विद्यमान हैं जैसे- गुजरात में भंगी, आंध्र प्रदेश में पाखी और तमिलनाडु में सिक्कलीयर्स। यद्यपि यह काफी समय से कानूनी रूप से निषिद्ध है परन्तु अधिकांश राज्यों में हाथ से मैला उठाने की प्रथा चल रही है। शहरों में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को वास्तव में, गन्दे नालों की सफाई के लिए नालों में उतरना पड़ता है, बिना किसी सुरक्षा/रक्षात्मक उपकरण के उन्हें मानवजनित मल में उतरना पड़ता है। ऐसे भी उदाहरण हैं जहां बच्चों को मैनहोल में उतरने के लिए मजबूर कर दिया गया और कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से मौत हो गई। वर्ष 1992 में सरकार ने एक राष्ट्रीय योजना प्रारम्भ की, जिसके अंतर्गत सम्पूर्ण देश में सफाई कर्मचारियों की पहचान, प्रशिक्षण और पुनर्वास का प्रावधान किया गया है। एक स्व-रोजगार योजना हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास योजना (एसआरएमएस) सन् 2007 में प्रारम्भ हुई और 2013 में इसमें संशोधन कर इन कर्मियों के लिए नकद सहायता, प्रशिक्षण और किफायती ऋण सुविधा को शामिल किया गया।

सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन के साथ-साथ शुष्क शौचालयों के निर्माण या जारी रहने और वाटर-सील शौचालयों के निर्माण और रख-रखाव के अधिनियम या तत्संबंधी मामलों या अनुषंगी मामलों का प्रावधान करता है। इन प्रावधानों का उल्लंघन एक दण्डनीय अपराध है और इस पर अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत अभियोग भी चलाया जा सकता है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 में सिर पर मैला ढोने वालों की परिभाषा का विस्तार किया गया है और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध, सिर पर मैला ढोने वालों और उनके परिवारों के पुनर्वास और तत्संबंधी अथवा आनुषंगिक मामलों हेतु प्रावधान किया गया है।

[2] वर्तमान में 18 जोखिमपूर्ण व्यवसायों और 65 प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया गया है। निषिद्ध किए गए महत्वपूर्ण व्यवसायों में शामिल कुछ व्यवसाय हैं—ईंट भट्ठे, भवन और निर्माण कार्य, चटाई बुनना, मालगोदाम, घरेलू नौकर आदि।

[3] बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012 को दिसम्बर, 2012 में राज्य सभा में बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 को संशोधित करने के लिए पुरःस्थापित किया गया था। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में बच्चों के दाखिले की सुविधा देने हेतु सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों का नियोजन निषिद्ध करना प्रस्तावित है। यह विधेयक एक नई श्रेणी "किशोर" (ऐसा व्यक्ति जिसने चौदह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो परन्तु अभी अठारह वर्ष का नहीं हुआ हो) को जोड़ता है और यह किशोरों को खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में नियोजन को निषिद्ध करता है।

## पथ विक्रेता

पथ विक्रेता और फेरी वाले असंगठित श्रमिकों के सर्वाधिक दिखाई देने वाले और सक्रिय श्रेणी में से हैं और ये शहरी अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में 42.19 लाख पथ विक्रेता हैं। शहरों और कस्बों में पथ विक्रय न केवल गरीबों के लिए स्व-रोजगार का एक स्रोत है अपितु यह अधिकांश शहरी जनसंख्या, विशेषकर आम लोगों के लिए वहनीय होने के साथ-साथ सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने का भी एक साधन है। वे दैनिक उपभोग के तरह-तरह के उत्पादों के वितरण के लिए मुख्य माध्यम हैं और एक कम कीमत, विकेन्द्रीकृत प्रणाली और बड़े बाजारों की प्रचलित कीमतों से कहीं कम कीमतों पर उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। शहरी बाजारों से उनको हटाए जाने से छोटे किसानों और छोटे उद्यमियों के लिए गंभीर संकट पैदा हो जाएगा जो औपचारिक क्षेत्र में महंगे वितरण नेटवर्क के माध्यम से अपने उत्पादों को नहीं बेच सकते। पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 शहरी पथ विक्रेताओं के अधिकारों की रक्षा करता है और पथ विक्रय गतिविधियों तथा तत्संबंधी अथवा प्रासंगिक मामलों को विनियमित करता है।

### पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014* के अंतर्गत पथ विक्रेताओं के अधिकार और दायित्व

- प्रत्येक पथ विक्रेता को विक्रय प्रमाण-पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप पथ विक्रय गतिविधियों का व्यवसाय करने का अधिकार होगा। जहां भी कोई क्षेत्र अथवा स्थान, यथास्थिति, गैर-विक्रय क्षेत्र के तौर पर चिन्हित किया गया हो उस क्षेत्र में कोई भी पथ विक्रेता कैसी भी विक्रय गतिविधियां नहीं कर सकेगा।
- प्रत्येक पथ विक्रेता, जिसके पास विक्रय प्रमाण-पत्र हो, वह धारा 18 के अंतर्गत अपने पुनर्स्थापन के मामले में, शहरी विक्रय समिति के परामर्श से स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित अपनी विक्रय गतिविधियां चलाने हेतु, यथास्थिति, नई जगह अथवा क्षेत्र हेतु पात्र होगा।
- जहां किसी पथ विक्रेता को समय-विभाजन आधार पर जगह मिली है, वह प्रत्येक दिन उसे आवंटित समय-विभाजन अवधि की समाप्ति पर वहां से अपना सामान हटा लेगा।
- प्रत्येक पथ विक्रेता विक्रय क्षेत्रों और आस-पास के क्षेत्रों में स्वच्छता और सार्वजनिक साफ-सफाई रखेगा।
- प्रत्येक पथ विक्रेता विक्रय क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं और सार्वजनिक सम्पत्ति को अनुरक्षित रखेगा और उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति अथवा नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
- प्रत्येक पथ विक्रेता विक्रय क्षेत्रों में उपलब्ध नागरिक सुविधाओं हेतु स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित आवधिक अनुरक्षण प्रभारों का भुगतान करेगा।

*पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (अध्याय-तीन)।

## घरेलू कामगार

तीसरा अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस 16 जून को मनाया गया आधिकारिक आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में 4.75 मिलियन घरेलू कामगार हैं, जिनमें से शहरी क्षेत्रों में तीन मिलियन महिलाएं हैं। देश भर में प्रत्येक परिवार में, जहां तक कि दूर-दराज वाले क्षेत्रों में भी घरेलू काम में उनकी मदद करने के लिए महिलाओं और/अथवा बच्चों को नौकरी पर रखा जाता है। पुरुष भी घरेलू कार्य में कार्यरत हैं। घरेलू कामगार आमतौर पर रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों में आए प्रवासी होते हैं। उनकी कम शिक्षा और कौशल के कारण उन्हें औपचारिक क्षेत्र में नियमित रोजगार नहीं मिल पाता। अपनी आजीविका संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए वे अक्सर अनिश्चितता और कार्य तथा व्यवहार की असभ्य अथवा अमानवीय स्थितियों का जोखिम उठाते हुए नाममात्र के वेतन पर घरेलू कामगार के रूप में कार्य करते हैं। अपराधों (विशेषकर चोरी) और परिणामी तथा संस्थागत प्रतिक्रियाओं के साथ सम्बद्ध एक समूह के रूप में घरेलू कामगारों का संगठन यह दर्शाता है कि कलंक और एक निश्चित छवि के इन रूपों को चिरस्थायी बनाने में सामाजिक संरचनाएं किस प्रकार सक्रिय भूमिका निभाती हैं। गरिमापूर्ण घरेलू काम के किसी भी विजन में घरेलू कामगारों के विरुद्ध दुर्भावना के कटु मुद्दे पर विचार करना चाहिए जोकि न केवल व्यक्तिगत परिवारों में अनौपचारिक कार्य संबंधों में अपितु संगठित क्षेत्र में भी व्याप्त है। हाल ही में 2011 में, बढ़ती हुई संख्या में घरेलू कामगारों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के बारे में विचार करने के लिए घरेलू कामगारों हेतु राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार किया गया था। इसकी विशेष पहलों में घरेलू कामगारों हेतु कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार और निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के पंजीकरण और निगरानी तंत्र की प्रायोगिक जांच शामिल हैं।

## भावी योजनाएं

भारत में काम कर रहे लोगों के लिए श्रम संरक्षण काफी समय से चली आ रही प्रतिबद्धता है। भारत के संविधान की उद्देशिका में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता और बंधुता, व्यक्ति और राष्ट्र की गरिमा की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 19 में संघ बनाने का अधिकार और अनुच्छेद 23 और 24 में बलात् श्रम के प्रतिषेध और कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध की गारंटी दी गई है। राज्य की नीति के निदेशक तत्व से संबंधित भारत के संविधान के भाग-चार में अन्य बातों के साथ-साथ काम और शिक्षा पाने का अधिकार; बेरोजगारी और सामाजिक सुरक्षा के मामलों में लोक सहायता पाने का अधिकार; काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का अधिकार; प्रसूति सहायता; निर्वाह मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं; प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेने संबंधी उपबंध किए गए हैं। भारत में सामाजिक सुरक्षा संबंधी अधिकांश कानून सामान्यत: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अभिसमयों और सिफारिशों के अनुरूप हैं। हालांकि अनेक अभिसमयों का अभी देश द्वारा अनुसमर्थन नहीं किया गया है।

असंगठित क्षेत्र में लगे कुल कार्यबल के बड़े भाग को पर्याप्त श्रम सुरक्षा नहीं मिल पाती। उन्हें अनियमित रोजगार, अस्थिर आय, किश्तों में पारिश्रमिक दर के प्रचलन और आय, रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में अल्पविधिक सुरक्षा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वे अक्सर कम कौशल-कम पारिश्रमिक के चक्र में फंस जाते हैं और व्यावसायिक सोपान में उनके आगे बढ़ने की लगभग कोई संभावना नहीं होती और उनमें सामाजिक गतिशीलता का अभाव होता है। उत्तरोत्तर आने वाली सरकारों ने विधायी उपायों और कल्याणकारी योजनाओं सहित कई कदम उठाए हैं परंतु उनके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए काफी कुछ किया जाना शेष है।

भारत की संसद समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा और उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संसद सदस्य असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए प्रभावी कानून बनाने, नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने में योगदान दे सकते हैं ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।

**संदर्भ:**


- भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14
- श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई पृष्ठाधार सामग्री
- राष्ट्रीय ''असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग'' का प्रतिवेदन ''असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा''-मई 2006
- भारत सरकार, भारतीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन
- भारत सरकार, योजना आयोग, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017, सामाजिक क्षेत्र खंड-तीन
- वेबसाइट : www.parliamentofindia.nic.in
- श्रम और रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट
- ''योजना'' अक्तूबर 2014
- भारत के राजपत्र में प्रकाशित पथ विक्रेता आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय (विनियमन) अधिनियम, 2014
- 2011 की जनगणना
- भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल ऑन वीमेन लेबर 2012-13



श्री पी.के. मिश्र, अपर सचिव और डॉ. आर.एन. दास, निदेशक की देखरेख में श्रीमती परमा चटर्जी, अपर निदेशक और श्रीमती आशा जयपाल सिंह, शोध अधिकारी, लोक सभा सचिवालय द्वारा संसद सदस्यों के उपयोग और जानकारी हेतु तैयार किया गया। इस बुलेटिन का हिन्दी संस्करण संपादन और अनुवाद सेवा की निदेशक, श्रीमती सरिता नागपाल, अपर निदेशक, श्री धनी राम और संयुक्त निदेशक, श्री डी.आर. मेहता के मार्गनिर्देशन में तैयार किया गया।